रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032024-252788
CG-DL-E-09032024-252788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945
No. 152] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 8 मार्च, 2024

सा.का.नि. 164(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात :-

" '(च)' "भंजनकर्ता' से इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों और पुर्जों के भंजन के कार्य में संलग्न कोई व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है;"

3. उक्त नियमों के नियम 9 के पश्चात, निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"**9क विवरणी फाइल करने संबंधी समयावधि में छूट.-** केंद्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में या इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो आदेश द्वारा इन नियमों के अधीन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके पुर्जों या उपभोज्य वस्तुओं या हिस्सों या टुकड़ों के किसी

विनिर्माता, उत्पादक, नवीकरणकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा किसी ऐसी अवधि जिसके भीतर विवरणियां या रिपोर्ट फाइल करनी है, में आगे की अवधि, जो नौ माह से अधिक न हो, तक के लिए छूट दे सकती है।''

4. उक्त नियमों के नियम 15 में उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

''(7) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों के विनिमय या अंतरण के लिए एक या इससे अधिक मंच स्थापित कर सकती है।

(8) उप-नियम (7) के अधीन स्थापित मंच का संचालन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित और विनियमित किया जाएगा।

(9) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों के विनिमय के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जो नियम 22 के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्व को पूरा न करने पर पर्यावरणीय प्रतिकर के क्रमश: सौ प्रतिशत और तीस प्रतिशत के बराबर होगा।

(10) पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्री संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र का विनिमय मूल्य, उपनियम (9) में संदर्भित, उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच का होगा।''

[फा. सं. 12/136/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 801(अ), तारीख 02 नवम्बर, 2022 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. 534(अ), तारीख 24 जुलाई, 2023 के द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2024

G.S.R. 164(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the E-Waste (Management) Rules, 2022, namely: -

1. (1) These rules may be called the E-Waste (Management) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the E-Waste (Management) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3 for, clause (f) the following clause shall be substituted, namely: -

'(f) ''dismantler'' means any person or entity engaged in dismantling of used electrical and electronic equipment and components thereof in accordance with the guidelines of the Central Pollution Control Board made in this regard.'.

3. After rule 9 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: -

"**9A. Relaxation of timelines for filing of returns. – The** Central Government may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest or for effective implementation of these rules, by order, relax any period within which any return or report is to be filed under these rules by a manufacture, producer, refurbisher or recycler of electrical and electronic equipment and components or consumables or parts or spares thereof, for a further period not exceeding nine months.".

4. In rule 15 of the said rules, after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

" (7) The Central Government may by, order, establish one or more platform for exchange or transfer of extended producer responsibility certificates in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Central Government.

(8) The operation of the platform, established under sub-rule (7) shall be operated and regulated in accordance with guidelines made by the Central Government on the recommendation of the Central Pollution Control Board.

(9) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and lowest price for exchange of extended producer responsibility certificates which shall be equal to hundred per cent and thirty per cent, respectively of the environmental compensation for non-fulfilment of extended producer responsibility obligation under rule 22.

(10) The exchange price of extended producer responsibility certificate between registered entities through the portal shall be between the highest and lowest prices referred to in sub-rule (9).".

[F. No. 12/136/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 801(E), dated the 2nd November, 2022, and last amended, *vide* number G.S.R. 534 (E), dated the 24th July, 2023.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.09 13:38:51 +05'30'